भारत सरकार
शक्षा मंत्रालय
स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा
अतारांकत प्रश्न संख्या-1174
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

स्कूल बैग का बोझ

1174. श्री रामवीर संह बिधूड़ी:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:
(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने हेतु कए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश के स्कूलों ने "बैगलेस डेज" जैसे सुझावों को लागू करना आरम्भ कर दिया है और क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास स्कूल बैग के वजन की अ धकतम सीमा तय करने और समय-समय पर स्कूल बैग के वजन की मापन सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (**एनईपी**), 2020 **के पैरा** 4.33 **का उद्देश्य एनसीईआरटी**, **एससीईआरटी**, **स्कूलों और शिक्षकों के सहयोग से पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में उपयुक्त बदलाव के माध्यम से स्कूल बैग और पाठ्यपुस्तकों के वजन को काफी कम करने के लिए ठोस प्रयास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (**एनईपी**) 2020 **में यह भी सिफारिश की गई है कि सभी छात्र ग्रेड** 6-8 **के दौरान** 10-**दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लेंगे**, **जहां वे स्थानीय विशेषज्ञों जैसे बढ़ई**, **माली**, **कुम्हार**, **कलाकार आदि के साथ इंटर्न करेंगे।**

स्कूल बैग पर नीति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (**एनसीईआरटी**), **केंद्रीय विद्यालय संगठन** (**के** वसं), **नवोदय विद्यालय समिति** (**न** वसं) **और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड** (**सीबीएसई**) **के सदस्यों की विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई थी और एनसीईआरटी द्वारा** 2020 **में जारी की गई थी। शिक्षा मंत्रालय ने** 24 **नवंबर** 2020 **के अपने पत्र के माध्यम से इस नीति को राज्यों और** संघ राज्य क्षेत्रों **में परिचालित किया है।**

स्कूल बैग नीति में दिये **गए सुझाए** के **अनुसार शरीर के वजन के** 10 **प्रतिशत के रूप में स्कूल बैग के अनुपात के लिए कक्षा-वार सीमा नीचे दी गई है** :

तालिका : बच्चों के औसत शरीर के वजन की श्रेणीवार सीमा			
क्र.सं.	**कक्षा**	**औसत शरीर वजन सीमा (किलो में)**	**बैग वजन सीमा (किलो में अनुशंसित)**
1	**पूर्व प्राथमिक**	10-16	No bag
2	**कक्षा** I	16-22	1.6-2.2
3	**कक्षा** II	16-22	1.6-2.2
4	**कक्षा** III	17-25	1-7-2.5
5	**कक्षा** IV	17-25	1-7-2.5
6	**कक्षा** V	17-25	1-7-2.5
7	**कक्षा** VI	20-30	2-3
8	**कक्षा** VII	20-30	2-3
9	**कक्षा** VIII	25-40	2.5-4
10	**कक्षा** IX	25-45	2.5-4.5
11	**कक्षा** X	25-45	2.5-4.5
12	**कक्षा** XI	35-50	3.5-5
13	**कक्षा** XII	35-50	3.5-5

शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों **को स्कूल बैग नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (**एनईपी**), 2020 **के प्रासंगिक सुझावों को अपनाने और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।**

बैगलेस दिनों की सिफारिश के अनुसरण में, सरकार ने संबंधित हितधारकों के परामर्श से 10 **बैगलेस दिनों के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जिन्हें** 29 **जुलाई**, 2024 **को एनईपी** 2020 **की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य कक्षा** 6-8 **के बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण शिक्षाशास्त्र का उपयोग करके कौशल शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में सीखने को आनंदमय और तनाव मुक्त बनाना है। इन दिशानिर्देशों के तहत, कला, क्विज़, खेल और कौशल से जुड़ी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए, ऐतिहासिक स्थानों/स्मारकों के दौरे के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए समय-समय पर एक्सपोजर, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व; स्कूल के आसपास पौधों, पेड़ों और पक्षियों की पहचान; स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलना और राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कौशल आवश्यकताओं के अनुसार अपने गांव/तहसील/जिला/राज्य में अन्य संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों का दौरा** करने के लए **पूरे वर्ष 'बैगलेस डे' को प्रोत्साहित किया जाता है**;.

****